

कमिशनर आफ इनकम टैक्स एवं अन्य

बनाम

मैसर्स डिस्टिलर्स कम्पनी लिमिटेड

अप्रैल 5, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मारकण्डे काटजू, न्यायाधीश)

आयकर अधिनियम 1961, धारा 43-बी-कर कटौती-अरैक की बोटल भरने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने वाले एक परिपत्र के गैर-अनुपालन के लिये भुगतान की गई राशि पर- निर्धारण प्राधिकारी ने कटौती से इंकार करते हुये कहा कि उक्त राशि न तो जुर्माना थी, न ही शुल्क और ना ही आबकारी शुल्क(कर) और धारा 43-बी भी उक्त प्रकरण में लागू नहीं होती। अपील, अभिनिर्धारित किया, यह राशि आबकारी शुल्क नहीं थी क्योंकि यह अरक के निर्माण के लिये नहीं थी-कार्यकारी परिपत्र के संदर्भ में कर नहीं लगाया जा सकता था-एक वैधानिक प्रावधान का पालन न करने के रूप में यह जुर्माना के समान नहीं था-धारा 43-बी इस मामले में लागू नहीं थी-निर्धारिती उक्त राशि पर कर कटौती का हकदार है- कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965-कर्नाटक आबकारी (अरक का विनिर्माण और बाँटलिंग)

नियम, 1987-नियम 14(3) - भारतीय संविधान, 1950 - अनुच्छेद 265, सातवीं अनुसूची द्वितीय प्रविष्टि 8 व 51.

अयाची-निर्धारिती कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 के अनुसार एक लाइसेंस के तहत अरक की बोतल भरने, औद्योगिक शराब के विनिर्माण एवं उनके विपणन के व्यवसाय में था। कर्नाटक आबकारी(अरक का विनिर्माण और बाँटलिंग) नियम, 1987 कहता है कि सम्मिश्रण के बाद अरक को उस तरीके और अवधि के लिये परिपक्व किया जायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा। आयुक्त द्वारा परिपत्र द्वारा अरक को परिपक्व होने के लिये 15 दिनों की अवधि निर्दिष्ट की। यदि किसी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण परिपत्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता है तो कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करके बाँटलिंग इकाई के प्रभारी अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपरिपक्व अरक को बोतलबंद किया जा सकता है।

जब अयाची परिपत्र के निर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं था, तो उसने कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान कर उक्त उद्देश्य के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की। उसने बोतलों पर लेबल न लगाने के लिये भी कुछ राशि का भुगतान किया। अयाची ने अपने आयकर रिटर्न में अपनी सकल आय से उक्त राशि की कटौती के लिये दावा किया। आंकलन प्राधिकारी ने इस आधार पर कटौती से इंकार कर दिया कि उक्त राशि

जुर्माने की प्रकृति की थी; और चंकि निर्धारण वर्ष से संबंधित अवधि के दौरान इसका भुगतान नहीं किया गया था, इसलिये इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43-बी के तहत अस्वीकार किया गया था। अपीलीय प्राधिकरण ने निर्धारिती के दावे को यह कहते हुये स्वीकार कर लिया कि उक्त राशि ना तो आबकारी शुल्क थी, ना ही जुर्माना थी और इसलिये धारा 43-बी आकर्षित नहीं होगी। अधिकरण ने माना कि उक्त राशि अतिरिक्त शुल्क की प्रकृति की थी; और धारा 43-बी लागू नहीं थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त राशि जुर्माना नहीं थी, ना ही शुल्क और ना ही आबकारी शुल्क थी; लेबल ठीक न करने के लिये किया गया भुगतान भी जुर्माना नहीं था। इस प्रकार, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की।

कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. किसी आबकारी योग्य वस्तु के निर्माण पर लगने वाले लेवी की तुलना में जुर्माना और आबकारी शुल्क अलग-अलग पायदान पर होते हैं। सामान्यतः आबकारी शुल्क विनिर्माण पर लगने वाला कर है। यह संघ सूची में भी है। हालांकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 के कारण इसे केवल पीने योग्य शराब के संबंध में एक अपवाद बनाया गया है। इस प्रकार, भारत के संविधान की

सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 के तहत शराब पर आबकारी शुल्क लगाना केवल विधायी कानून का एक स्रोत है।

इसका अरक निर्माण से सीधा संबंध होना चाहिये। इस कारण कर्नाटक आबकारी (अरक का विनिर्माण और बाँटलिंग) नियम, 1987 के नियम 14 के उपनियम 3 के तहत कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के तहत किया गया है। कोई भी प्राधिकारी उक्त परिपत्र के संदर्भ में या अन्यथा कोई कर नहीं लगाता और वास्तव में नहीं लगा सकता है। चूंकि किसी कानून में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसलिये वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कोई जुर्माना लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है। परिपत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये ऐसी अतिरिक्त लेवी का स्रोत लाइसेंस के नियमों और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिये। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 8 के तहत बनाये गये कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के आधार पर लाइसेंस के ऐसे नियम व शर्तें राज्य द्वारा तय की जाती हैं।

इसलिये, ऐसे भुगतान लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण में या उसके अलावा किये जाते हैं, जोकि प्रविष्टि 8 के संदर्भ में हैं, ना कि निर्माण पर कर के रूप में। यह लेवी राज्य द्वारा अपनी एकाधिकार शक्ति का प्रयोग

करते हुये लगाई जाती है। यद्यपि राज्य की ऐसी एकाधिकार शक्ति भी प्रतिबंधित है। एक आबकारी शुल्क जो कर की प्रकृति में है, केवल उस कानून द्वारा लगाया जा सकता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुरूप हो।

{ पैरा 14,15,16 व 19} { 965-ई-एच; 966-ए-सी; 967-सी-जी}

केरल राज्य एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र डिस्टिलरीज लिमिटेड एवं अन्य { 2005} 11 एससीसी 1 पर आधारित.

केरल समस्थाना चेथु थोझिलाली यूनियन बनाम केरल राज्य व अन्य { 2006} 4 एससीसी 327, संदर्भित।

2. सम्मिश्रण हेतु किसी भी कानून में समयावधि निर्धारित नहीं है। आबकारी योग्य वस्तुओं के निर्माण के प्रयोजन के लिये 15 दिन का समय आवश्यक नहीं है। यह आयुक्त द्वारा निर्धारित समय है। इसके अलावा, विनिर्माण पर लेवी नहीं है। सम्मिश्रण अन्यथा निषिद्ध नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उक्त परिपत्र का विषय नहीं था। इसमें केवल बोटलबंद करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, इसे व्यापार को विनियमित करने की दृष्टि से जारी किया गया था। हालांकि, यह कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा और इसलिये, विनिर्माण पर कर नहीं होगा। { पैरा 17 { 967 -डी-ई}

केंद्रीय आबकारी आयुक्त बनाम मैसर्स इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (2006) 10 स्केल 34, संदर्भित।

3. अधिकरण और उच्च न्यायालय अपने विचारों में सही थे कि अधिनियम की धारा 43-बी मामले में आकर्षित नहीं थी। { पैरा 18, {967-एफ}}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1813/2007

आई.टी.ए. नं. 313/2002 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 04.12.2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से मोहन परासरन, एएसजी, चिदानंद डी.एल. और बी.वी. बलराम दास।

अयाची की ओर से धुरव मेहता, हर्ष वर्धन झा तथा यशराज सिंह देओरा (के.एल. मेहता कम्पनी की ओर से)

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की।

2. अयाची अरक बॉटलिंग, औद्योगिक शराब के विनिर्माण और उनके विपणन का व्यवसाय करता है। उसने कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कर्नाटक राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया। निर्विवाद रूप से, अरक के निर्माण और बॉटलिंग से

संबंधित मामला उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है। कर्नाटक राज्य को कर्नाटक आबकारी (अरक का विनिर्माण और बोटलिंग) नियम, 1987 (संक्षेप में 'नियम') के रूप में जाना जाता है। नियम जिसके बारे में हम यहां विचार कर रहे हैं, वह नियम 14 का उप-नियम (3) है जो निम्नानुसार कहता है -

(3) सम्मिश्रण के बाद अरक को उस तरीके से और ऐसी अवधि के लिए परिपक्व किया जाएगा जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

3. हालाँकि, आबकारी आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि:

“यहां यह निर्दिष्ट किया जाता है कि अरक को बोटलिंग करने से पहले अरक को कम से कम 15 दिनों की अवधि के लिए लकड़ी के बर्तनों में परिपक्व किया जाएगा।”

4. इस प्रकार, उपरोक्त उद्देश्य के लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी। हालाँकि, एक प्रश्न यह उठा कि आबकारी वस्तु का क्या होगा, यदि किसी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों में, उक्त निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता। उस आकस्मिकता को पूरा करने की दृष्टि से, यह कहा गया कि:

“यदि बॉटलिंग इकाई अपने नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ऊपर निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक अरक को परिपक्व करने में सक्षम नहीं होती है, तो बॉटलिंग इकाई के प्रभारी अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपरिपक्व अरक को भी बोतलबंद किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्दिष्टानुसार अपरिपक्व अरक की आपूर्ति के लिए जुर्माना 29 पैसे प्रति बल्क लीटर होगा।”

5. निर्विवाद रूप से, अयाची ने इसके संदर्भ में उचित प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की क्योंकि वह कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर उक्त परिपत्र के पहले भाग का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं था। उसने, अपने आयकर रिटर्न में, उक्त राशि को अपनी सकल आय में से कटौती करने का दावा किया था।

6. निर्धारण प्राधिकारी की यह राय थी कि चूंकि निर्धारिती द्वारा देय राशि दंड की प्रकृति में थी, इसलिए वह किसी कटौती का हकदार नहीं था। आगे यह राय दी गई कि चाहे व्यय कटौती योग्य हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्यांकन वर्ष से संबंधित अवधि के दौरान प्रश्नगत राशि का भुगतान /कटौती नहीं किया गया था, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी के संदर्भ में अस्वीकार्य किया जाना था। (संक्षेप में ‘अधिनियम’)।

7. निर्धारिती ने बोलों पर लेबल न लगाने के लिए कुछ राशि का भुगतान किया। उसने निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी और अपीलीय प्राधिकारी ने, आयकर आयुक्त (अपील) होने के नाते, वही राय दी कि दावा की गई राशि न तो 'आबकारी कर' की प्रकृति में है और न ही जुर्माना है।

8. अधिनियम की धारा 43 बी की प्रयोज्यता के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन राशि न तो जुर्माना है और न ही आबकारी शुल्क है, इसलिए अधिनियम की धारा 43 बी लागू नहीं होगी।

9. अपीलकर्ता ने इसके विरुद्ध आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने राय दी कि अयाची द्वारा किया गया भुगतान अतिरिक्त लेवी की प्रकृति में था। अधिनियम की धारा 43 बी की प्रयोज्यता के संबंध में प्राधिकरण ने इसे नकारात्मक रूप में अभिनिर्धारित किया।

10. अधिनियम की धारा 260 ए के तहत राजस्व द्वारा उक्त के विरुद्ध दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के आधार पर खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष, कानून के निम्नलिखित कथित प्रश्न तैयार किए गए:-

“(1) क्या अपीलीय प्राधिकरण यह मानने में सही था कि अरक की बोतलों पर चिपकने वाला लेबल चिपकाने में

विफल रहने और आबकारी उपायुक्त (बरेवरीज और डिस्टिलरीज), बेंगलुरु द्वारा लगाए गए 13,25,572/-रुपये की राशि क्या कर्नाटक आबकारी (अरैक का विनिर्माण और बॉटलिंग) नियम, 1997 के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए अरक को परिपक्व करना कानून के उल्लंघन के कारण लगाए गए जुर्माने के बावजूद एक स्वीकार्य कटौती थी?

(2) क्या आबकारी उपायुक्त (बरेवरीज और डिस्टिलरीज), बेंगलुरु द्वारा लगाए गए 13,25,572/- रुपये का जुर्माना और मूल्यांकन वर्ष के दौरान निर्धारित द्वाारा भुगतान नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 43 के तहत इसे अस्वीकार किया जा सकता है?"

11. रिट याचिका संख्या 5008/1991 में 5 सितंबर, 1991 को निर्णित उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य में इसी न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

- (1) विचाराधीन राशि जुर्माना नहीं थी;
- (2) इसे शुल्क या आबकारी कर के रूप में भी नहीं माना जाना था;

(3) लेबल न लगाने के लिए किया गया भुगतान भी जुर्माना नहीं है।

“10. इसलिए, लेबल उपलब्ध नहीं होने के अभाव में, यदि निर्धारिती को बोटलबंद अरक जारी करने के लिए लेबल की लागत के लिए विभाग को राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, तो यह विचार करना संभव नहीं है कि ऐसा भुगतान फीस के रूप में किया गया था जैसा कि श्री शेषचला ने तर्क दिया।

नियम में प्रयुक्त भाषा यह स्पष्ट करती है कि आवश्यक राशि का भुगतान बोटलबंद अरक प्राप्त करने के लिए बिना लेबल के बिक्री के लिए सरकार को लेबल की लागत के रूप में किया जाना चाहिये। जब नियम की भाषा स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान करती है कि लेबल की लागत के लिए आवश्यक राशि का भुगतान किया जाना है और उक्त नियम लाइसेंसधारक पर वेयर हाउस अधिकारी की उपस्थिति में अपने खर्च पर लेबल लगवाने का दायित्व भी डालता है, तो यह मानना सही नहीं होगा कि भुगतान की गई राशि लेबल के मूल्य की लागत के रूप में नहीं, बल्कि शुल्क के रूप में है। इसलिए, श्री एम.वी. शेषचला का तीसरा निवेदन भी अस्वीकार किये जाने योग्य है।”

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन परासरन ने कथन किया कि ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गलती की क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि कुछ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर प्रश्नगत राशि जुर्माना के रूप में लगाई जाएगी और किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 43 बी के अनुसार जिस भुगतान के संबंध में कटौती का दावा किया गया है, वह मूल्यांकन वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशि होनी चाहिए। आक्षेपित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

13. हालांकि, अयाची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने फैसले का समर्थन किया।

14. किसी आबकारी योग्य वस्तु के निर्माण पर लगने वाले लेवी की तुलना में जुर्माना और आबकारी शुल्क अलग-अलग पायदान पर होते हैं। सामान्यतः आबकारी शुल्क विनिर्माण पर लगने वाला कर है। यह संघ सूची में भी है। हालांकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 के कारण इसे केवल पीने योग्य शराब के संबंध में एक अपवाद बनाया गया है। जो इस प्रकार है-

“51- राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर आबकारी शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित

या उत्पादित समान वस्तुओं पर समान या कम दरों पर
प्रतिकारी शुल्क:-

(ए) मानव उपभोग के लिए मादक शराब;

(बी) अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाएं
और नशीले पदार्थ, लेकिन इस प्रविष्टि के उप-पैराग्राफ (बी)
में शराब एवं अन्य कोई पदार्थ से औषधीय युक्त और
शौचालय हेतु निर्मित पदार्थ शामिल नहीं है।”

15. इस प्रकार, शराब पर आबकारी शुल्क लगाने का भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची द्वितीय, प्रविष्टि 51 के संदर्भ में कानून में एक स्रोत होना चाहिए। इसका अरक के निर्माण से सीधा संबंध होना चाहिए। नियमों के नियम 14 के उप-नियम (3) में इसके लिये समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऐसा आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए एक कार्यकारी आदेश के तहत किया गया है। प्राधिकरण उक्त परिपत्र के संदर्भ में या अन्यथा विनिर्माण पर कोई कर नहीं लगाया और न ही लगा सकता है। चूँकि किसी कानून के कारण कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसलिए वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए कोई जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। यह अतिरिक्त लेवी पर विचार करता है। परिपत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त लेवी का स्रोत लाइसेंस के नियम एवं शर्तों में पाया जाना चाहिए। लाइसेंस के ऐसे

नियम और शर्तें भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 8 के संदर्भ में बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर राज्य द्वारा तय की जाती हैं।

इसलिए, इस तरह के भुगतान लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण में या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रविष्टि 8 के तहत किये जाते हैं एवं ना कि निर्माण पर कर के रूप में। मामले के इस पहलू पर इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने केरल राज्य व अन्य बनाम महाराष्ट्र डिस्टिलरीज लिमिटेड एवं अन्य { 2005} 11 एससीसी 01 में अभिनिर्धारित किया है कि:

“79. इस संबंध में हम पंजाब राज्य बनाम देवांश मॉडर्न बरैवरीज लिमि. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं। उस मामले में केरल राज्य भी एक पक्ष था। राज्य ने अन्य राज्यों में निर्मित पीने योग्य शराब के आयात पर कर लगाया था। राज्य का रुख यह था कि आयात शुल्क लगाकर पीने योग्य शराब के आयात पर प्रतिबंध लगाना राज्य के प्रांत के अंतर्गत है। उपरोक्त कर राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 सूची के संदर्भ में उसे प्रदत्त अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं लगाया गया था, बल्कि प्रविष्टि 8 और उसके

संबंध में परिकल्पित नियामक शक्ति के अनुसार लगाया गया था।

उत्तरदाताओं की ओर से उठाया गया तर्क यह था कि संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 की आवश्यकताओं का अनुपालन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना था कि आयात शुल्क को द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। उत्तरदाताओं के तर्कों को अस्वीकार कर दिया गया था और केरल राज्य की ओर से किये गये तर्कों को स्वीकार कर लिया गया। इस न्यायालय ने पाया कि शुल्क शब्द का उपयोग क्विड प्रो क्वो के सिद्धान्त को आकर्षित करने के लिए सख्त अर्थ में नहीं किया गया है। यह वह कीमत या प्रतिफल था जो राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार से अलग होने और इसे विक्रेताओं को देने के लिए वसूला था। इसलिए, लगाई गई राशि न तो कोई शुल्क थी और न ही कर, बल्कि एक विशेषाधिकार की कीमत की प्रकृति में थी जिसे क्रेता को किसी भी हानिकारक वस्तु/वस्तुओं के व्यापार और व्यवसाय में भुगतान करना पड़ता था।

इस न्यायालय ने माना कि शराब का कारोबार करने का अनुमेय विशेषाधिकार किसी भी रूप में अधिकार नहीं है। अपने

विशेषाधिकार के अधीन लिया जाने वाला लेवी, न तो कर है और न ही कोई शुल्क है। यह केवल उस विशेषाधिकार के अधीन शक्ति के प्रयोग के लिए या अनुमति प्रदान करने के लिए लगाया गया लेवी है। इस न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इस संबंध में उल्लेख करते हुये स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य को पीने योग्य शराब के संबंध में सभी पहलुओं के संबंध में सभी प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार है और राज्य विधानमंडल के पास उस संबंध में कानून बनाने की विशेष क्षमता प्राप्त है। पीने योग्य शराब के संबंध में राज्य का विशेष अधिकार प्राप्त है और नशीले पदार्थों का व्यापार या व्यवसाय करना कोई मौलिक अधिकार नहीं था।

राज्य को अपनी नियामक शक्ति के तहत नशीले पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, निर्यात, आयात, बिक्री और कब्जे के संबंध में हर रूप से या हर गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और ये सभी अधिकार राज्य में निहित हैं और वास्तव में नशीले पदार्थों के संबंध में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रभावी विनियमन इस प्रकार के अधिकार के बिना नहीं हो सकता है।”

16. राज्य द्वारा अपनी एकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए लेवी लगाई जाती है। यहां तक कि राज्य की ऐसी एकाधिकार शक्ति भी प्रतिबंधित है। {केरल समस्थाना चेथू थोझिलाली यूनियन बनाम केरल राज्य एवं अन्य. {2006} 4, एससीसी 327}, देखें।

17. इस मामले का एक और पहलू भी है। सम्मिश्रण हेतु किसी भी कानून में समयावधि निर्धारित नहीं है। आबकारी योग्य वस्तुओं के निर्माण के प्रयोजन के लिये 15 दिन का समय आवश्यक नहीं है। यह आयुक्त द्वारा निर्धारित समय है। इसके अलावा, विनिर्माण पर लेवी नहीं है। सम्मिश्रण अन्यथा निषिद्ध नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उक्त परिपत्र का विषय नहीं था। इसमें केवल बोटलबंद करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, इसे व्यापार को विनियमित करने की दृष्टि से जारी किया गया था। हालांकि, यह कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा और इसलिये, विनिर्माण पर कर नहीं होगा। विनिर्माण पर कर क्या होगा, इस पर हाल ही में कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज बनाम मैसर्स इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, (2006) 10 स्केल 34 में विचार किया गया है।

18. इसलिए, हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय अपने विचारों में सही थे कि मामले में अधिनियम की धारा 43 बी लागू नहीं थी।

19. एक आबकारी शुल्क जो कर की प्रकृति में है, केवल उस कानून द्वारा लगाया जा सकता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के विवरण का उत्तर देता हो।

20. इसलिए, हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अपील खर्च सहित खारिज की जाती है। वकील की फीस 25000/-रुपये निर्धारित की गई।

के.के.टी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।